schedule was introduced with effect from the 5th of March, 1990. Consequently, the frequency of Indian Airlines' services on the Delhi-Nagpur sector has been reduced from five times a week to three times a week.

सवाई माधोपुर बाटलिंग प्लांट से दिल्ली के लिए गैस सिलेंडरों की पूर्ति

790. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में गैस सिलेंडरों की कमी को पूरी करने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन सवाई माधोपुर स्थित बाटलिंग प्लांट से गैस सिलेंडरों की पूर्ति करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली को कितने सिलेंडर भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए लगभग कितने ट्रकों को काम पर लगाया जा सकता है तथा इस समय वास्तव में कितने ट्रक काम कर रहे हैं तथा इनसे सम्बन्धित परिवहन कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

(घ) क्या ओम कोठारी नामक एक फर्म को 60 ट्रकों का ठेका दिया गया है तथा क्या निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए कोई निविदाएं आमंत्रित की गई थीं ; यदि हां, तो कब और किन-किन फर्मों से निविदाएं प्राप्त हुई थीं ;

(ङ) क्या इस प्रकार के कार्य को सवाई माधोपुर, जो कि एक पिछड़ा जिला है, के स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को नहीं दिया जा सकता था; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) दिल्ली को गैस सिलिंडरों की आपूर्ति मासिक आपूर्ति योजना में दर्शायी गई इनकी मांग और इन्हें भारी मात्रा में तथा पैक की गई एल०पी०जी० की ढुलाई को ध्यान में रख कर विभिन्न स्रोतों से की जाती है । समय-समय पर दिल्ली को कुछ आपूर्ति सवाई माधोपुर बाटलिंग सयंत्र से भी की जाती है । मासिक आपूर्ति योजना में ऐसे सिलिंडरों की ढुलाई का लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं होता है ।

(ग) मौसम के मुताबिक मांग के होने से एल०पी०जी० को ढुलाई के लिए ट्रकों की आवश्यकता घटती बढ़ती रहती है । सवाई माधोपुर बाटलिंग सयंत्र से विभिन्न स्थानों को पैक की गई एल०पी०जी० की ढुलाई के ठेके के तहत इस समय 99 ट्रक चल रहे हैं । संबंधित ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1.	मैसर्स जसबीर ट्रांसपोर्ट कंपनी, सवाई माधोपुर	15 ट्रक
2.	मैसर्स ओम ट्रांसपोर्ट कम्पनी, सवाई माधोपुर	15 ट्रक
3.	मैसर्स मधुकर रोड कैरियर्स, दिल्ली	15 ट्रक
4.	मैसर्स नासीराबाद गुड्स ट्रांसपोर्ट कं०, अजमेर	2 ट्रक
5.	मैसर्स हमीर ट्रांसपोर्ट कं०, सवाई माधोपुर	8 ट्रक
6.	मैसर्स सन्नी ट्रांसपोर्ट कं० सवाई माधोपुर	10 ट्रक
7.	सवाई माधोपुर से जुड़े राजस्थान मार्केट में 100 वितरक	10 ट्रक
8.	मैसर्स दास ट्रांसपोर्ट कम्पनी, दिल्ली	2 ट्रक
9.	मैसर्स ओम कोठारी कैरियर्स, दिल्ली	23 ट्रक
10.	मैसर्स कुन्दनमल मुकन्दलाल, एण्ड संस, जयपुर	3 ट्रक

(घ) जी, हां । मैसर्स ओम कोठारी कैरियर्स, दिल्ली को प्रधान दरों और शर्तों

के आधार पर अतिरिक्त (समानान्तर) ठेके पर लगाया गया है क्योंकि पैक की गई एल०पी०जी० की ढुलाई के लिए उनके मौजूदा ठेके को सार्वजनिक निविदा के जरिए अंतिम रूप दिया गया था । इस अतिरिक्त (समानान्तर) ठेके के लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी ।

(ङ) और (च) पैक की गई एल०पी०जी० को सवाईमाधोपुर संयंत्र से ढुलाई के लिए इस समय कार्य कर रही 10 फर्मों में से चार स्थानीय ट्रांसपोर्टर हैं जिनमें से दो सार्वजनिक निविदा के माध्यम से और दो अतिरिक्त (समानान्तर) ठेका आधार पर लगाए गए हैं।

सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्टरी का बन्द किया जाना

791. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्टरी में पिछले तीन वर्षों से कोई उत्पादन नहीं हुआ है तथा उक्त फैक्टरी के मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यह फक्टरी पुनः कब तक चालू कर दी जायेगी ;

(ग) क्या सरकार इस फैक्टरी का अधिग्रहण करने का विचार रखती है ;

(घ) राजस्थान में कितने जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले हैं तथा किसी जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं ; और

(ङ) सवाई माधोपुर को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं, जबकि वहां स्थित एक मात्र सीमेंट फैक्टरी भी पिछले तीन वर्षों से बंद पड़ी है?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख) मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड जिसका सवाई माधोपुर में एक सीमेंट संयंत्र है, को राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कार्यशील पूंजी की सुविधाएं दी गई थीं । तथापि, चूंकि गारन्टी का नवीकरण नहीं कराया गया यहै अतः 1-7-1988 से बैंक की कार्रवाई बन्द है। राज्य सरकार और कम्पनी के अनुरोध पर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को एक पुनस्थापना योजना तैयार करने के लिए संचालक अधिकरण के रूप में नियुक्त किया । भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा तैयार की गई योजना और इस मामले से सम्बद्ध सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड की विशेष पीठ अपनी 30 जनवरी; 1989 को हुई सुनवाई में प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अधीन जीव्य नही बनाया जा सकता और यह न्यायसंगत और उचित है कि इसे बन्द कर दिया जाय । तदनुसार, सभी सम्बन्धित पक्षों से सुझाव/टिप्पणियां/आपत्तियां आमंत्रित करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है और 5-4-1989 अगली सुनवाई को तारीख निर्धारित की गई थी ।

इस बीच 30 जनवरी, 1989 को औद्योगिक और वित्तीय पुनःनिर्माण बोर्ड द्वारा इस एकक को बन्द करने के सम्बन्ध में पारित किए गए, आदेश को एकक के एक प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई । अपील प्राधिकरण ने अपनी टिप्पणियों के संदर्भ मे अपने दिनांक 12-6-1989 के आदेश द्वारा इस मामले की जांच औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दी है।